भाजपा राज में भी कांग्रेसी सुमित गौड़ की दादागीरी कायम

जिसको चाहे झूठे मुकदमे में लपेट कर जेल भिजवा सकता है

फ़रीदाबाद (म.मो.) अपने राजनीति प्रभाव से सुमित गौड़ ने दिनांक 1.8.17 को थाना सेंट्रल में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 व 385 के तहत 69 वर्षीय रमेश छाबड़ा, 63 वर्षीय डॉ. एन के शर्मा व रमेश के पुत्र लक्ष्य छावड़ा के विरुद्ध एक मुकदमा नम्बर 758 दर्ज कराया। ''मैं तुझे जान से मार दूंगा'' इतना कहने भर से धारा 506 बन जाती है। और ''मुझे इतने रुपये दे दो मैं तेरा यह काम कर दूंगा'' कहने से धारा 385 बन जाती है।

सुमित गौड़ द्वारा उक्त दोनों आरोप लगाने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। और 4 अक्तूबर को एक आरोपी रमेश छावड़ा को गिरफ़्तार भी कर लिया। जाहिर है पुलिस इतनी जल्दी एवं दबाव में थी कि उक्त आरोपों की सत्यता जानने तथा सबूतों को जुटाने की भी जरूरत नहीं समझी।

उक्त धारायें इतनी साधारण सी हैं कि इनमें अव्वल तो केस दर्ज ही नहीं होता और हो भी जाये तो गिरफ़्तारी की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। इस तथ्य को जानते समझते हुए भी विद्वान मैजिस्ट्रेट साहब ने जमानत मंजूर करने के बजाय रमेश छावड़ा को 2 रात के लिये नीमका जेल भेज दिया। केस में कुछ हो या ना हो पर एक शरीफ़ नागरिक वह भी समाजसेवी दो दिन की जेल तो मुफ़्त में काट ही आया। युवा कांग्रेसी नेता सुमित गौड़, शासन-प्रशासन में सांठ-गांठ के बल पर इस तरह के फ़र्जी मुकदमे दर्ज कराने में काफ़ी महारत रखता है। रमेश छाबड़ा से उसके झगड़े की असल वजह छाबड़ा द्वारा की गयी वह शिकायत है जिसमें करोड़ों रुपये के काले धन का लेन-देन हुआ था।

सुमित गौड़ ने कमल नारंग नामक एक व्यक्ति से सन् 2014 में एक कोठी नम्बर 209 सेक्टर 15 खरीदने का इकरारनामा किया था। इसके अनुसार बतौर कोठी की कीमत सुमित ने कमल को 4 करोड़ 50 लाख रुपये अदा करने थे। इसमें से मात्र 50 लाख रुपये तो सुमित ने कमल को बैंक के द्वारा (एक नम्बर में) अदा कर दिये। शेष 3 करोड़ 95 लाख 50 हज़ार कमल नारंग को नकद (दो नम्बर में) काले धन के रूप में अदा कर दिये। शेष रकम सुमित ने कमल को झूठा केस दर्ज कराने की धमकी देकर छुड़वा लिये थे।

यह सारी कहानी रमेश छावड़ा ने ढूंढ कर प्रधानमंत्री कार्यालय, आयकर विभाग आदि को लिख कर भेज दी तथा मामले की जांच करके दोषियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की मांग कर डाली। कार्यवाहियां तो इस देश में जैसी होती हैं, उसे तो फ़िलहाल छोड़ दीजिये, लेकिन इसका पता चलते ही सुमित ने अपनी कार्यवाही चालू कर दी। उसने रमेश को ललचाने, समझाने व धमकाने आदि का काम डॉ. एन के शर्मा को सौंपा। डॉ. शर्मा का एन एच-5 में बांके बिहारी मन्दिर के सामने अच्छा-खासा नर्सिंग होम है जिसे वह गत 32 साल से चला रहे हैं। इससे पहले वे सरकारी अस्पताल में नौकरी कर चुके हैं। सुमित से कुछ रिश्तेदारी के चक्कर में डॉ. साहब ने छाबड़ा से मिल कर मामला रफ़ा-दफ़ा कराने का प्रयास तो किया लेकिन बात बनी नहीं।

डॉ. शर्मा द्वारा पल्ला झाड़ लेने से नाराज हुए सुमित ने अब डॉक्टर साहब को ही हड़काना शुरू कर दिया। उनके नर्सिंग होम में घुस कर उन्हें गालियां दी व किसी भी झूठे मुकदमे में फंसवा देने की धमकियां दी। डॉक्टर साहब ने इस बाबत स्थानीय थाना एनआईटी में शिकायत दी। कोई सुनवाई न होने, और उल्टे उनके ही खिलाफ़ थाना सेंट्रल में उक्त झूठा मुकदमा दर्ज होने पर उन्होंने दिनांक 3.8.17 को प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जिसकी प्रतियां अन्य जगह भेजने के साथ-साथ फ़रीदाबाद के पुलिस कमिश्नर को भी भेजी थी।

सुमित द्वारा कमल नारंग से खरीदी उक्त कोठी का मामला ट्रांसफ़र के लिये 'हूडा' कार्यालय में पहुंचा तो वहां एतराज लग गया क्योंकि कोठी का कम्पलीशन नहीं हुआ था और उसमें कुछ अवैध निर्माण भी मौजूद था। वैसे भी 'हूडा' में हर काम कराने की बाकायदा रिश्वत तय है और ग़लत काम के लिये तो फ़िर रिश्वत के रेट भी अनाप-शनाप हो जाते हैं। यहां रिश्वत मांगने का आरोप सुमित ने रमेश के पुत्र लक्ष्य छाबड़ा पर लगा दिया जिसके पल्ले ही वहां कुछ नहीं है। वह न तो 'हूडा' का कर्मचारी है और न अधिकारी।

रमेश छाबड़ा के अनुसार सुमित के पास दो गैस एजेंसियां भी हैं। इन में से एक दलित कोटे से बल्लबगढ निवासी गुलाब सिंह के नाम पर अलाट है। सुमित ने इसी गुलाब सिंह को तैयार करके हरिजन एक्ट में एक झूठा केस बल्लबगढ में भी दर्ज कराने का प्रयास किया था। वहां बात जब एसीपी अमन यादव व डीसीपी विष्णु दयाल तक पहुंची तो उन्होंने झूठा केस दर्ज करने से साफ़ इन्कार कर दिया। इस पर सुमित की एसीपी से काफ़ी नोक-झोंक भी हुई, लेकिन पुलिस ने झुकने व बिकने से इन्कार कर दिया। अब उसी गुलाब सिंह की झूठी शिकायत पर एक झूठा केस थाना सेंट्रल में दर्ज कराने की धमकी सुमित दे रहा है।

थानेदार की मौजूदगी में सूदखोर ने पीड़ित का हड़काया

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद। एनएच पांच निवासी एक व्यक्ति को डीसीपी एनआईटी से एक सूदखोर और सट्टेबाज की शिकायत करना भारी पड़ गया। डीसीपी ने मामले को जांच के लिए एनआईटी थाना प्रभारी के पास भेज दिया। सूदखोर की पैरवी करने पहुंचे बड़खल विधानसभा क्षेत्र की विधायक सीमा त्रिखा के तथाकथित चाचा को देखते ही सूदखोर के हौंसले बुलंद हो गए। सूदखोर ने थाना प्रभारी के सामने ही पीड़ित को बुरी तरह हड़काना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं पीड़ित को थानादारे की भी खरी खोटी सुननी पड़ी।

एनएच पांच एच निवासी चरणदीप लखानी ने इसी इलाके में सूदखोरी और सट्टेबाजी का धंधा चलाने वाले विपिन माहेश्वरी से परेशान होकर गत 25 सितम्बर को एनआईटी जोन की डीसीपी आस्था मोदी के समक्ष पेश होकर शिकायत की थी। डीसीपी ने लखानी की सुनने के बाद मामले को जांच के लिए थाना एनआइटी प्रभारी मित्रपाल के पास भेज दिया। गत 4 अक्टूबर को थाना प्रभारी ने दोनों पक्षों को थाने में बुला लिया। दोनों पक्षों के पहुंचते ही विधायक सीमा त्रिखा का तथाकथित चाचा तनेंद्र टंडन, विपिन माहेश्वरी की पैरवी करने पहुंच गया। सबसे पहले तो थाना प्रभारी मित्रपाल ने पीड़ित चरणदीप लखानी को मजदूर मोर्चा अखबार में खबर छपवाने के लिए जमकर हड़काया। थानेदार और टंडन की शह पर विपिन माहेश्वरी के हौंसले और ज्यादा बढ़ गए। माहेश्वरी थानेदार के सामने ही लखानी को बुरी तरह हड़काने लगा। टंडन ने धमकाते हुए कहा कि डीसीपी अस्था मोदी इस मामले में क्या कर सकती है। मामले की जांच तो आखिकार थानेदार मित्रपाल को ही करनी है। इसके बाद थानेदार समेत सभी लोग चरणदीप पर फैसला करने के लिए दवाब बनाते रहे। शाम करीब चार बजे तनेंद्र टंडन जबरन फैसला करवाने के बाद थाने से निकल कर चला गया। दूसरी तरफ पीड़ित चरणदीप लखानी समाचार लिखे जाने तक न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहा है। आपको बताते चले कि एनएच पांच एम निवासी विपिन माहेश्वरी के संबंध जुआरियों, मैच बुकियों और असामाजिक तत्वों के साथ है। विधायक के चाचा तनेंद्र टंडन की सरपरस्ती में विपिन माहेश्वरी अपने गैरकानूनी धंधे बेखौफ होकर चला रहा है। शुरू में गोल गप्पे बेच कर परिवार का गुजारा चलाने वाला माहेश्वरी आज लाखों का फाइनेंस का धंधा चला रहा है। शाम ढलते ही माहेश्वरी के कार्यालय में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की महफिल जमनी शुरू हो जाती है।

सट्टेबाज गौरे ने लगाया था जुआरियों का जमावड़ा

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद। मोटी रकम का जुआ पकड़ने के लिए इन दिनों थाना कोतवाली काफी चर्चा में है। जुआ खेलने वाले एक जुआरी का दावा है कि पुलिस ने मौके से करीब 15 लाख रुपये कब्जे में लिए थे। वहीं पुलिस का कहना है कि उन्हें मौके पर करीब सवा पांच लाख रुपये ही मिले थे। लेकिन बड़े पैमाने पर इस खेल का इंतजाम शहर के जाने माने सट्टेबाज सुखदयाल के बेटे गौरे ने किया था।

यह सुखदयाल और उसका बेटा गौरे वहीं लोग है, जिन्होंने युवाओं को बर्बाद करने के लिए सबसे पहले शहर में ऑनलाइन जुआ शुरू किया था। इनके चंगुल में फंस कर सैंकड़ों युवा बर्बाद हो गए थे। यहां तक की इनके चंगुल में फंस कर एनएच दो निवासी छात्र हिमांशु आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया था। इस आत्महत्या के मामले में उस समय भी सुखदयाल और अन्य लोगों के नाम चर्चा में आए थे। इसी सुख दयाल के बेटे ने गत 9 अक्टूबर की रात को नीलम बाटा रोड पर स्थित होटल अभिनंदन में जुआरियों के जुआ खेलने का इंतजाम किया था। लेकिन कोतवली थाने की पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए इन जुआरियों को रंगेहाथों दबोच लिया। आपकों बताते चले कि इससे पहले भी मजदूर मोर्चा नीलम बाटा रोड स्थित अभिनंदन होटल और अन्य होटलों में होने वाले अनैतिक कामों की जानकारी खबरों के माध्यम से प्रशासन और पाठकों को देता रहा है। यह होटल अभिनंदन संजय मक्कड़ का है। पूरा शहर जानता है कि संजय मक्कड़ क्रिकैट पर लगने वाले सट्टे का शहर का सबसे बढ़ा बुकी है। इसके अलावा विधायक सीमा त्रिखा के तथाकथित चाचा तनेंद्र टंडन और एनआईटी थाना प्रभारी मित्रपाल की शह पर एनएच पांच के सी ब्लॉक में शराब ठेके के सामने वाली गली में हर रोज बड़े पैमाने पर दाना की बुक चलाई जाती है। जहां हर रोज दर्जनों की संख्या में जुआरी और सट्टेबाज इक्ट्ठे होकर लाखों का जुआ खेलते है। अड्डे को चलाने वाले बुकी के घर पर कई सालों से अवैध शराब का धंधा भी धड़ल्ले से चल रहा है।

स्वच्छ भारत अभियान के बच्चन महान और मोदी महान
न खाउंगा न खाने दूंगा, सौ साल सलामत रहे जुमला महान

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06